पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 02 | अंक : 09 | अक्टूबर 2022 | परस्पर संपर्क हेतु

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

विनोद चौधरी द्वारा

भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था का समुचित विकास उस देश के सभी सेक्टर के योगदान से होता है। भारत की अर्थव्यवस्था को तीन सेक्टर से समझ सकते हैं – प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अक्सर कहा जाता है कि कृषि भारत की रीड़ की हड्डी है। 2020-21 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में कृषि का योगदान 19.9 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष 2019-20 के 17.8 से अधिक है।

अगर एक बड़े पैमाने पर इसका अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि 1951 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 47.6% का योगदान था। वर्षों बाद कृषि क्षेत्र की जीडीपी में आए बदलाव (कमी) का कारण द्वितीय और तृतीयक सेक्टर हैं। साठ के दशक में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर का बहुमुखी विकास नहीं हुआ था।

कृषि महत्त्वपूर्ण क्यों है?

चूँकि जीडीपी का निर्धारण तीनों सेक्टरों को मिलाकर होता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों श्रेणियाँ आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए अगर देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देना है तो तीनों श्रेणियों को उनके अनुसार समान अवसर प्रदान करने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका इसलिए महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत की 46% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। शेष आबादी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अगर इसको दूसरे देशों की तुलना में देखा जाए तो काफी अधिक है।

द्वितीय क्षेत्र की कृषि पर निर्भरता

द्वितीयक क्षेत्र आवश्यक कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण करता है। द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी योगदान 25.92% है।

कृषि की विशेषताऔर महत्व

1950-51 की बात करें तो उस वक्त भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 61% था। वर्षों बाद वर्तमान की बात करें तो 2021-22 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि योगदान 20.19 प्रतिशत है। हालांकि आपको यह आंकड़े घटते हुए दिख रहे हैं। इसका कारण द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होना है। दूसरे देशों की तुलना में कृषि का योगदान देखें तो कई यूरोपीय देशों और अमेरिका में जीडीपी में कृषि का योगदान 1% तक ही है। क्योंकि कृषि राष्ट्रीय आय में बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए कृषि की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

मूलभूत वस्तुओं की उपलब्धता कराना

किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है–रोटी, कपड़ा और मकान। कृषि से गेहूँ, चावल खाद्य अनाज और अन्य कच्चे माल कपास का उत्पादन होता है। 2021-22 के आंकड़ों की तुलना अगर 1950 से करें तो जनसंख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। इसी के अनुरूप अगर 1950 और वर्तमान 2021-22 की कृषि की तुलना करें तो कृषि उपज में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि भारतीय कृषि की उपज पूरे भारत की जनसंख्या अर्थात 141 करोड़ की आबादी का पेट भरने में सक्षम है। दरअसल यह एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा 1960 में लायी गई हरित क्रांति से उपज में बढ़ोतरी से संभव हुआ। 1950-51 की बात करें तो प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 395 ग्राम मिलता था। आज (2022) में 3 गुना जनसंख्या की वृद्धि के बाद भी भारत में प्रति व्यक्ति 437 ग्राम अनाज की उपलब्धता है।

रोजगार में बढ़ोतरी

भारत की बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी होने के कारण इससे कई सारे रोजगार निकल कर आते हैं। भारत में कृषि से पनपे रोजगार की बात करें तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार 41.49% लोग को कृषि से रोजगार मिलता है। कुछ पुराने आंकड़ों की बात करें तो 2016-17 में 46.2% लोगों को कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था। भारतीय कृषि और अन्य दूसरे यूरोपीय देशों और अमेरिका की कृषि से तुलना करें तो इन देशों में कृषि का रोजगार में योगदान केवल 1 से 2% के बीच में हैं।

कृषि और उद्योग

द्वितीय सेक्टर विनिर्माण से सम्बंधित हैं, इनके निर्माण में सैकड़ों फेक्ट्रियों का संचालन होता है। इन फैक्ट्रियों के संचालन के लिए लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि से ही होती है। कच्चे माल के अंतर्गत कपास, गन्ना, हैंडलूम उत्पाद जैसे लकड़ी के स्रोत (बांस) इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। अन्य कच्चे माल दूसरे विनिर्माण के लिए कृषि क्षेत्र से उपलब्ध होते हैं।

कृषि और विदेशी व्यापार

भारत कई कृषि उपजों में नम्बर 1 पर हैं। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनमें भारत नंबर 2 पर है। भारत में बहुतायत पैदा होने वाले वाणिज्यिक उपज को निर्यात किया जाता है, जिनमें चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, मसाले, काजू, तेल, जूट आदि शामिल हैं। 2016-17 में कुल निर्यात का 12.3% कृषि का योगदान था। 2022 के ताजा आंकड़ों के अनुसार कृषि सेक्टर का निर्यात 14% है।

हमारे देश की फूड इंडस्ट्रीज में काम आने वाले खाद्य तेल का आयात बाहर से किया जाता है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया और इंडोनेशिया से 6.54 मिलियन टन पाम आयल का आयात किया गया। अगर देखा जाए तो आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा बहुत अधिक है। तो अगर हम भारत से किए जाने वाले निर्यात और बाहर से किए जाने वाले आयात को देखें तो पेमेंट सेटेलमेंट लगभग बराबर हो जाता है, अर्थात कोई विशेष लाभ नहीं होता है। वहीं यदि खाद्य तेल के निर्माण को भारत में ही बढ़ा दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया विकल्प मिल सकता है। भारत में आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा में कमी आएगी। उसी स्थान पर फूड इंडस्ट्रीज हमारे देश के किसानों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले तेल को खरीदेगी, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी अंततः देश की आय में वृद्धि होगी।

आंतरिक व्यापार में भूमिका

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के सर्वे के अनुसार ग्रामीण इलाकों के लोग 56 प्रतिशत आय का हिस्सा खाने के लिए खर्च करते हैं। वहीँ शहरी लोग का यह आंकड़ा 44 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कराने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में ट्रांसपोर्ट, गोदाम, सरकारी गोदाम इत्यादि शामिल हैं। इससे सरकार को टैक्स मिलता है। खाद्य पदार्थों को सप्लाई करने के लिए कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इस कारण से भी कृषि की भूमिका अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

कृषि और ट्रांस्पोर्ट

भारत में ऐसी कई सारी फसलें हैं जो क्षेत्रीय हैं। क्षेत्रीय उपजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरुरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट के बहाने कई सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्ट से सरकार टैक्स वसूलती हैं, जो सरकार की आय का स्रोत है।

सरकार को आय

खाद्य पदार्थों से होने वाले व्यापार में टैक्स वसूली से सरकार को बहुत बड़ी आय होती है। सरकार सिंचाई कर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और निर्यात करने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्यात शुल्क वसूल करती है। इन सभी से सरकार को बहुत

(शेष पेज 2 पर)

(पेज 1 का शेष)
बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान करता है।

बचत का स्रोत

1960 में जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तो, पहले-पहले कुछ राज्यों में ही इसको लागू किया गया। इसका कारण यह था कि उस समय इस्तेमाल होने वाले बीज को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी या पर्याप्त सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। लेकिन धीरे-धीरे इसको दूसरे राज्यों और इलाकों में शुरू किया गया। जिससे बड़े स्तर पर कृषि उत्पादन हुआ। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और जो किसान सक्षम थे वे बैंकों में पैसा जमा कर बचत भी करने लगे। इन सभी को मिलाएं तो अंततः पूंजी का निर्माण होता है जिससे देश की आय में वृद्धि होती है।

आर्थिक विकास का आधार

कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि कर द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा क्रांति लाई जा सकती है। इससे द्वितीय क्षेत्र में लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। प्राथमिक क्षेत्र के किसानों को ज्यादा आय होगी। देश की आय में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसलिए कृषि को आर्थिक विकास के आधार से जोड़कर देख सकते हैं।

सामाजिक महत्व

देश की 70% से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है जो अधिकांशतः कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि में सुधार होगा तो एक बड़ी जनसंख्या की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर ग्रामीण आय में सुधार आएगा तो वहां शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति अपने आप बेहतर होगी। जिससे एक स्वस्थ्य और जागरूक समाज का निर्माण संभव होगा।

जानकारी

कैसे करें ग्राम पंचायत का प्रबंधन

विनोद चौधरी द्वारा

पिछले माह के अंक में इस विषय पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक आयोजित करने से जुड़ी जानकारी प्रकाशित की गई थी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित और पंचायत द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का प्रबंधन करना, उनकी निगरानी करना भी पंचायतों का दायित्व है। इसके अलावा एक अच्छी पंचायत के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों का व्यवस्थित संधारण भी उतना ही जरूरी है। इस अंक में इन्हीं दो विषयों पर जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

सेवाओं की निगरानी

गांव स्तर की सेवाएं जैसे - स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन वितरण, मध्यान्ह भोजन, पेयजल तथा अन्य सेवाएं सभी वर्ग व परिवारों तक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पहुंचें, वहां की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें इसकी निगरानी के लिये स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समितियां गठित करने का प्रावधान है। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब इन समितियों के सदस्यों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी पता हो और पूरी लगन से वे इसे निभाएं। कुछ प्रमुख सेवाओं की निगरानी के बारे में यहां जानकारी दी जा रही है -

स्वास्थ्य एवं पोषण – आंगनवाड़ी में दी जाने वाली सेवाओं एवं गुणवत्ता की निगरानी के लिये स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। शासन के निर्देशों के अुनसार इस समिति द्वारा लगातार निगरानी की जानी चाहिए ताकि सभी पात्र हितभागियों को सेवाओं का लाभ मिल सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा, विभाग से मिलने वाली राशि के खर्च की जानकारी ग्राम पंचायत को दी जावे। ग्राम पंचायत को अपने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये पंचायत क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था की सतत निगरानी करना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में - ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी स्कूलों का रखरखाव एवं पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाये रखने के लिये स्कूलों की नियमित निगरानी जरूरी है। शाला प्रबंधन समितियां व पंचायत मिलकर सुनिश्चित करें कि बिना किसी जातिगत और लैंगिक भेदभाव के सभी को समान रूप से शिक्षा मिले और पढ़ाई का स्तर ठीक रहे। कौशल विकास के अवसर और ई –शिक्षा पर भी ग्राम पंचायतों को ध्यान देने की जरूरत है।

अजीविका के क्षेत्र में – ग्राम के सभी पात्र हितग्राही जो शासन द्वारा जारी किसी पात्रता सूची में आते हैं उनको योजनाओं से लाभ प्रदान कराने की व्यवस्था पंचायत को करना चाहिए। आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिये गांव स्तर पर बचत समूहों का गठन किया जाना चाहिये। इन समूहों को ग्राम पंचायतों के कार्यों में भी जोड़ा जा सकता है।

सामान्यतः देखा गया है कि प्रत्येक ग्राम के विद्यालयों में शाला त्यागी व अप्रवेशी बच्चों की संख्या दर्ज होती है। लेकिन पंचायत को इन बच्चों के संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी तक नहीं होती है। ये बच्चे अधिकांशतः श्रमिक परिवारों के होते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं या छोटी मोटी मजदूरी करने लगते हैं। अतः ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु पंचायत को अपनी योजना बनाना चाहिए।

पेयजल की व्यवस्था- गांव के सभी नागरिकों को शुद्ध व स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाना व उसका नियमित संचालन एवं रखरखाव पंचायत का दायित्व है। जिन ग्राम पंचायतों में नल -जल योजना संचालित हैं वहां उनके रखरखाव पर उपयोगकर्ताओं से जानकारी लेना चाहिए। लोगों से चर्चा करने के उपरान्त जल शुल्क तय करना चाहिये और ग्राम सभा की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करना चाहिये। शुल्क का उपयोग पेयजल व्यवस्था की मरम्मत और रखरखाव में किया जा सकता है।

अधोसंरचनाओं का रखरखाव एवं निगरानी - ग्राम पंचायत को अपनी सभी अधोसंरचनाओं का दस्तावेजीकरण करके रखना चाहिए। यह अधोसंरचनाऐं पंचायत, सरकारी विभागों अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित की हुई हो सकती हैं। प्रत्येक अधोसंरचना से जुडी प्रमुख जानकारियां जैसे निर्माण कब हुआ, निर्माण किस विभाग या संस्थान के द्वारा कराया गया, निर्माण उपरान्त समय-समय पर रखरखाव के लिये क्या किया गया और कितना व्यय हुआ इन सब बातों का विवरण पंचायत के पास होना अच्छा है। यदि काई अधोसंरचना किसी विभाग या संस्था द्वारा प्रदान की गई है तो विभाग, उपयोग का प्रकार एवं उसके रखरखाव की जिम्मेदारी की शर्तों का उल्लेख करते हुए दस्तावेज संधारित करना चाहिए।

शौर्या दल - शौर्या दल का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर जन-सामान्य को संवेदनशील बनाना और महिला एवं बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं में कमी लाना है। इसमें सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव को कम करना भी शामिल है। महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में समाज को जागरूक करना और उनकी सहभागिता से हिंसा संबंधी मुद्दों का निराकरण करवाना है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं और बालिकाओं को मिले, इसके लिये पंचायत को प्रयास करना चाहिये। शौर्या दल अपने कार्यों को अंजाम देने के लिये जरूरत अनुसार स्थानीय पुलिस की सहायता ले सकता है।

ग्राम पंचायत में रखी जाने वाली पंजियॉ (रजिस्टर)

ग्राम पंचायत के कामों को व्यवस्थित और अच्छे ढंग से चलाने के लिये जरूरी है कि सभी दस्तावेज व्यवस्थित हों और संभाल कर रखे जायें। पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले विभिन्न दस्तावेज और पंजियों की सूची यहां दी जा रही है।

मध्यप्रदेश में पंचायत की विभिन्न जानकारियां को पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी रखी जाने लगी हैं। पंचायत में संधारित की जाने वाली प्रमुख पंजियों का विवरण इस प्रकार है -

- **बैंक जमा पंजी** - ग्राम पंचायत को जो भी राशि मिलती है उसको बैंक खाते में जमा करने का विवरण इस पंजी में रखा जावेगा ।
- **रोकड़ पंजी (कैश बुक)** – इसमें ग्राम पंचायत को अलग-अलग स्रोतों से होने वाली आमदनी तथा विभिन्न मदों पर किये जाने वाले खर्चों को दर्ज किया जाता है। प्रतिदिन की आय एवं व्यय का हिसाब लिखा जाता है। किसी विशेष दिन आय-व्यय नहीं हुआ हो तो दिनांक लिख कर निरंक बताते हुए ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर कराए जाएंगे।
- **रसीद कट्टा** - इस अभिलेख में ग्राम पंचायत को कर, शुल्क, दण्ड़, दान एवं सहयोग के रूप में जितनी भी राशि मिलती है उसका विवरण संधारित किया जाता है। ऐसी राशि जिसके लिए पंचायत द्वारा रसीद कट्टे से रसीद दी जावेगी उस रसीद की एक प्रति बनाकर उस पर रसीद प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर लिये जावेंगे। पंचायत इस दस्तावेज के सहयोग से समय पर शुल्क/कर संग्रहण की स्थिति एवं स्वयं की आय का आंकलन कर सकती है।
- **बिल पंजी** -ग्राम पंचायत द्वारा किये गये खर्च का बिल तैयार किया जावेगा तथा बिल पंजी में अंकित किया जावेगा।
- **प्राप्ति संक्षेप पंजी** -ग्राम पंचायत को विभिन्न संस्थाओं से जो भी आमदनी होगी उसका मद वार विवरण इस पंजी में रखा जायेगा।
- **व्यय पंजी** -पंचायत द्वारा जो भी खर्चा किया जावेगा उसका मदवार विवरण इस पंजी में दर्ज किया जावेगा।
- **वसूली योग्य अग्रिमों की पंजी** -किसी कर्मचारी या सदस्य को दी गई अग्रिम राशि में से वसूल की गई राशि का हिसाब इस पंजी में रखा जावेगा।
- **चल या अचल सम्पंति की पंजी** -पंचायत के स्वामित्व वाले भवन, स्थाई जमीन, तालाब आदि सम्पत्ति की जानकारी इस पंजी में रखी जावेगी ।
- **प्रस्ताव पुस्तिका** -ग्राम पंचायत के द्वारा आयोजित की गई बैठकों में जो भी प्रस्ताव पारित किए जायेंगे उनका विवरण विषय/ मदवार इस पंजी में रखा जाएगा ।
- **भंडार पंजी** -पंचायत द्वारा खरीदी गई अथवा किसी संस्था द्वारा दी गई कोई सामग्री है तो इस प्रकार की समस्त सामग्री का उल्लेख इस भंडार पंजी में किया जावेगा।
- **आवक/जावक** - ग्राम पंचायत को जो भी प्रत्र प्राप्त होंगे या पंचायत द्वारा भेजे जायेंगे उनका उल्लेख इस पंजी में किया जावेगा । इस पंजी में पत्र का क्रमांक, भेजे जाने की तिथि, भेजने वाले का नाम तथा पत्र के विषय का उल्लेख किया जाना जरूरी होगा।
- **जन्म/मृत्यु/विवाह पंजी** -ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के सदस्यों की जन्म एवं मृत्यु से संबंधित जानकारी एवं विवाह का विवरण इस पंजी में रखा जावेगा ।
- **प्रमाणपत्र पंजी** –ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी प्रमाणपत्र दिये जाते है उनसे संबंधित विस्तृत विवरण इस पंजी में रखा जावेगा। जिसमें प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले का नाम, विषय, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तथा प्रमाणपत्र

(शेष पेज 3 पर)

(पेज 2 का शेष)

जारी करने के कारणों का उल्लेख होगा।

- **आवास पंजी** -ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आने वाले भवनों के प्रकार, संख्या, निवास करने वाले सदस्यों की संख्या तथा मकान के संबंध में जरूरी जानकारी इस पंजी में लिखी जावेगी।
- **पलायन करने वालों की पंजी** -इस पंजी में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे परिवारों की जानकारी रखी जावेगी जो किसी भी कारण से स्थाई अथवा अस्थाई रूप से पंचायत क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर चले गये हैं या जाते हैं।
- **वोटर लिस्ट** -ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं की सूची कार्यालय के अभिलेख के लिये रखी जावेगी।
- **समग्र आईडी पंजी** -ग्राम पंचायत क्षेत्र मे जारी समग्र आईडी का विवरण इस पंजी मे दर्ज किया जावेगा।

अन्य पंजियां जो पंचायत द्वारा संधारित की जा सकती हैं -

- **वाद पंजी** -पंचायत पर या पंचायत द्वारा किसी पर चलाये गये मुकदमों का विवरण इस पंजी में रखा जावेगा।
- **रसीद कट्टा का मूल (स्टाक) लेखा** -पंचायत द्वारा जितने रसीद कट्टे खरीदे गए हैं उनका लेखा-जोखा इस पंजी में होगा।
- **वेतन बिल** -पंचायत के कर्मचारियों का वेतन बिल इस प्रत्रक पर तैयार किया जावेगा।
- **आकस्मिक व्यय बिल** -विशेष परिस्थिति में किया गया खर्च जैसे स्टेशनरी आदि पर व्यय इस प्रपत्र पर बनाया जावेगा।
- **विशेष प्रयोजन अनुदान लेखा** -निर्माण कार्यों से संबंधित हिसाब इस पंजी में रखा जावेगा ।
- **कर्मचारियों से ली गई प्रतिभूतियों की पंजी** -पंचायत कर्मचारियों से जमानत के रूप में जो राशि जमा कराई गई है, उसका हिसाब इस पंजी में रखा जावेगा।
- **नगद जमा पंजी** -इस पंजी में नगद में प्राप्त राशि का हिसाब रखा जावेगा।
- **निराश्रित पंजी** -ग्राम पंचायत क्षेत्र में असहाय एवं विकलांग व्यक्तियों को पेंशन राशि दिये जाने का हिसाब इस पंजी में रखा जाता है।
- **डाक टिकट खर्च पंजी** -जो भी पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा भेजे जाते हैं उन पर जो टिकट का खर्च होगा उसका हिसाब इस पंजी में रखा जावेगा।
- **मांग वसूली पंजी** - ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी कर निर्धारित किये जाते हैं उनकी वसूली तथा बकाया की स्थिति को इस पंजी में दर्शाया जाता है।
- आबक-जाबक फाइल
- शिकायत एवं समाधान फाइल
- लोक सूचना पटल पर चस्पा की गई जानकारियों की फाइल
- योजनाओं की फाइल
- कार्ययोजना की फाइल
- प्रस्ताव फाइल
- योजनावार प्रक्रिया फाइल
- आवेदन फाइल
- विभिन्न पंजियों के सहायक दस्तावेजों की फाइल

पंचायतों को समय समय पर विभिन्न विभागों के द्वारा पत्र प्राप्त होते रहते है। इन पत्रों के अनुपालन में पंचायतें कई कार्य भी करती हैं। पर जब पंचायतें किसी पुरस्कार/सम्मान के लिए या वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी भेजती हैं तो बहुत से कार्य छूट जाते हैं। यदि पंचायतें आवक-जावक पंजी व पत्रों का ठीक से दस्तावेजीकरण करेंगी तो समय आने पर वे सभी कार्यों का उल्लेख कर सकेंगी।

नोटः उपरोक्त दस्तावेज और पंजी के अलावा पंचायत आवश्यकतानुसार नई पंजी बना सकती है।

(अगले अंक में निरन्तर जारी....)

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ में वृद्धि

विनोद चौधरी द्वारा

लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब कन्याओं को 1 लाख 43 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इससे पहले 1 लाख 18 हजार रूपए का लाभ दिया जा रहा था। अर्थात पहले की तुलना में 25 हजार रूपए अधिक दिये जायेंगे। पहले पंजीबद्ध बालिका को कक्षा 12वीं तक शिक्षा हेतु चरणबद्ध आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए भी 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 में संशोधन कर इस प्रावधान को लागू किया गया है। इस संबंध में 4 अक्टूबर 2022 को राजपत्र का प्रकाशन किया गया है।

प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई।

योजना के लाभ हेतु पात्रता

- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात हुआ हो।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हो।
- बालिका के जन्म से 1 साल के भीतर पंजीयन अनिवार्य।

योजना के लाभ

- योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी।
- लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
- बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

आवेदन कहाँ करें

जरूरी दस्तावेजों के साथ आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन करें या लोक सेवा केन्द्र/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) पर योजना के लाभ हेतु पंजीयन कराया जा सकता है।

मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना

विनोद चौधरी द्वारा

मध्यप्रदेश में रहने वाले युवाओं के लिए प्रदेश सरकार माह दिसम्बर 2022 से एक कल्याणकारी योजना की शुरु करने जा रही है। इस योजना का नाम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना रखा गया है। इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य प्रदेश के स्नातक (ग्रेजुएट) तथा स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) डिग्री हासिल कर चुके युवाओं को अलग-अलग सरकारी विभागों की विकास से संबंधित योजनाओं की इंटर्नशिप प्रदान कराना है। ताकि युवा विकास संबंधी योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर काम कर अपने राज्य के विकास में योगदान दे सकें और बेहतरीन अनुभव हासिल कर सकें।

योजना के पहले चरण में तकरीबन 4695 युवाओं का चयन किया जाएगा। और इसके पश्चात चयनित किए गए युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत हर महीने तकरीबन 8000 का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। यही नहीं सरकार ने कहा है कि हर विकासखंड में तकरीबन 15 इंटर्न युवाओं को भी नियुक्त किया जाएगा। जो भी युवा मध्यप्रदेश राज्य में रहते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें योजना का लाभार्थी बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

योजना के लाभ/विशेषताएं

- केवल मध्य प्रदेश में निवास करने वाले युवा ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इंटर्नशिप की अवधि 6 माह होगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर चुके युवाओं को भर्ती करने का काम करेगी।
- योजना के पहले चरण में तकरीबन 4695 युवाओं का चयन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
- चयनित किए गए युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कहकर संबोधित किया जाएगा।
- विद्यार्थियों में योजना के प्रति रुचि पैदा हो सके, इसके लिए योजना के तहत चयनित युवाओं को हर महीने सरकार के द्वारा तकरीबन 8000 स्टाइपेंड के तौर पर प्रदान किए जाएंगे।
- बेरोजगार युवाओं को काम मिलेगा जिससे प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी।

योजना के लाभ हेतु पात्रता

- आवेदनकर्ता का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(शेष पेज 4 पर)

(पेज 3 का शेष)

- आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 29 साल तक होना चाहिए।
- स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर चुके व्यक्ति ही योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- डिग्री कोर्स पूरा करने के 2 साल के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- स्नातक या स्नातकोत्तर कॉलेज पास मार्कशीट
- कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में योजना के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है।

- वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के पश्चात आपको ऊपर की साइड जो टेढी लाइन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको 'नागरिक सेवाएं' वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पर क्लिक कर देना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर अलग-अलग प्रकार के ऑप्शन आएंगे, जिनमें से आपको आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।\
- अब आपकी स्क्रीन पर अलग-अलग प्रकार की योजनाओं के नाम आएंगे जिनमें से आपको मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मांगी जा रही सभी जानकारियों को उनकी निर्धारित जगह में दर्ज करना है।
- अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी को डिजिटल रूप में स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- अब आपको सादे पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करने हैं अथवा अंगूठे का निशान लगाना है और उसे भी स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- अब सबसे आखरी में आपको जो सबमिट वाली बटन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर देना है।
- इतनी प्रक्रिया करते ही आप इस योजना में आवेदन करने में सफल हो जाते हैं।

योजना के बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन नम्बर 0755-6720200 पर कॉल किया जा सकता है।

प्रदेश में 13 फसलों की 23 किस्मों की अनुशंसा

विनोद चौधरी द्वारा

प्रदेश के किसान स्थानीय जलवायु के अनुसार फसल की उन्नत किस्मों का चयन कर, फसलों की अच्छी पैदावार ले सकें, इसके लिए राज्य शासन ने राज्य बीज उपसमिति की सहमति पर म.प्र. के लिए 13 फसलों की विभिन्न किस्मों की अनुशंसा की है। समिति की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों द्वारा फसलों की 29 किस्मों पर विचार किया गया, इसमें से कुल 23 किस्मों को प्रदेश के लिए अनुशंसित किया गया। इन प्रस्तावों में जलवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, आईआईपीआर (इंडीयन इंस्टीटयूट ऑफ पल्स रिसर्च) क्षेत्रीय अनुसंधान फंदा (भोपाल) एवं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान इन्दौर के प्रस्ताव शामिल हैं। मध्य प्रदेश के लिए फसलों की अनुशंसित किस्मों की सूची इस प्रकार है –

फसल	प्रजाति	विशेषताएं
आई.आई.पी.आर. – 2 किस्में		
उड़द	आईपीयू-17-2	शीघ्र पकने वाली, परिपक्वता अवधि 73 दिन, अधिकतम उत्पादन 13.69 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, पीला मोजेक प्रतिरोधी एवं गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त।
	आईपीयू-19-10	परिपक्वता अवधि 73 दिन, अधिकतम उत्पादन 21.30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, पीला मोजेक प्रतिरोधी, वसंत और गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त।
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि. जबलपुर – 13 किस्में		
धान	पूसा जेआरएच – 56 (आईईटी – 27333)	परिपक्वता अवधि 120 दिन, कीट रोगों के प्रति प्रतिरोधक, उत्पादन 61.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उत्पादन लागत सामान्य धान से लगभग 30% कम आती है।
	जेआर – 21 (आईईटी – 28388)	परिपक्वता अविध 128 से 130 दिन, मध्यम अवधि में पकने वाली, अधिकतम उत्पादन 60.36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सीधी बुवाई एवं रोपण पद्धति दोनों के लिए उपयुक्त।
मक्का	जवाहर मक्का जेएम – 1014 (एचएमएम – 1014)	परिपक्वता अवधि 77 से 91 दिन, वर्षा आधारित कंडीशन हेतु उपयुक्त, उत्पादन 55.62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दानों का रंग लाल।
अलसी	जवाहर अलसी सागर – 122 (जेएलएस – 122)	परिपक्वता अविध 116 दिन, कीट एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधी, उत्पादन 8.74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तेल की मात्रा 39.37 प्रतिशत।
उड़द	टीजेयू – 130	परिपक्वता अवधि 65 से 70 दिन, शीघ्र पकने वाल किस्म, उत्पादन 14.19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वसंत एवं गर्मी के सीजन हेतु उपयुक्त।
	टीजेयू – 339	परिपक्वता अवधि 65 से 70 दिन, शीघ्र पकने वाल किस्म, उत्पादन 17.33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मूंग बीन, पीला मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी।
चना	जेजी – 18 (जेजी – 2019-155-118)	परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन, समय पर एवं देरी से बोनी हेतु उपयुक्त, विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधी, अधिक तापमान हेतु सहनशील, उत्पादन 23.60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
	जेजी – 2018-52 (जेजी – 52)	परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन, अधिकतम उत्पादन 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दाल की मात्रा 80%, वर्षा आधारित क्षेत्रों एवं समय पर बोनी हेतु उपयुक्त।
आम	सुन्दरजा सलेक्शन – 02	वृक्षों की ऊंचाई 7 से 8 मीटर, फूलों की परिपक्वता अवधि 135 से 140 दिन, भण्डारण गुणवत्ता सामान्य तापमान पर 10 से 12 दिन एवं फ्रीजिंग में 30 दिन।
कोदो	जवाहर कोदो-9-1	परिपक्वता अवधि 103 से 104 दिन, उत्पादन 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लॉजिंग एवं झड़ने के प्रति प्रतिरोधी, समय से बोनी हेतु वर्षा आधारित एवं कम उपजाऊ वाली मिट्टी के लिए भी उपयुक्त।
ओट्स	वी-8 (जेडब्ल्युजीओ-01)	दाने वाली ओट्स की प्रथम किस्म, एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशील, पकने की अवधि 106 से 11 दिन, उत्पादन 32.18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार की मिट्टी में बुवाई के लिए उपयुक्त।
मक्का	पूसा जवाहर हायब्रिड मक्का-02	पकने की अवधि 92 से 94 दिन, शीघ्र पकने वाली किस्म, उत्पादन 96.06 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दानों का रंग नारंगी, सूखा क्षेत्र के लिए उपयुक्त, प्रजाति हायब्रिड।
सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र इन्दौर – 3 किस्में		
सोयाबीन	एनआरसी – 157	पकने की अवधि 94 से 95 दिन, जल्दी पकने वाली किस्म, अधिकतम उत्पादन 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, रोगों के प्रति प्रतिरोधी, उच्च अंकुरण क्षमता, देर से बुवाई के लिए उपयुक्त 15 जुलाई तक, तेल की मात्रा 18% एवं प्रोटीन 35.67% है।
	एनआरसी – 136	पकने की अवधि लगभग 105 दिन, मध्यम देरी से पकने वाली किस्म, उत्पादन 27.15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सूखा क्षेत्र के लिए उपयुक्त, उच्च अंकुरण क्षमता।
	एनआरसी – 131	उच्च उपज क्षमता एवं मशीन से कटाई हेतु उपयुक्त।
राजमाता सिंधिया कृषि वि.वि. ग्वालियर – 5 किस्में		
कुसुम	आरव्हीएस-18-03	पकने की अवधि 127 से 132 दिन, मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म, उत्पादन 17.26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, रोगों के प्रति प्रतिरोधी, सिंचत एवं वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।
ज्वार	राज विजय ज्वार - 2714	पकने की अवधि 121 से 130 दिन, देरी से पकने वाली किस्म, प्रजाति इथेनाल का अच्छा स्रोत, वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, उत्पादन 17.26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, रोगों के प्रति प्रतिरोधी, सिंचत एवं वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, ग्रीन (फ्रेश) का उत्पादन 50 टन प्रति हेक्टेयर।
	आरवीजे – 2357	उच्च उपज क्षमता चारा एवं दाना हेतु उपयोगी।
कपास	आरवीजेके-एसजीएफ-1	पकने की अवधि 144 से 160 दिन, मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म, उत्पादन 8.87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जैविक कपास के रूप में प्रदेश की नान जीएम देशी प्रजाति, रेशे की लम्बाई 28 से 30 एमएम, कपास उगाए जाने वाले सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।
	आरवीजेके-एसजीएफ-2	पकने की अवधि 145 से 155 दिन, मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म, उत्पादन 8.43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, प्रजाति जैविक कपास के रूप में, रेशे की लम्बाई 28 से 30 एमएम।

स्रोत : कृषक जगत समाचार पत्र, भोपाल, 3 अक्टूबर 2022

पंचायत और विकास समाचार

मनरेगा उप योजनाओं के अभिसरण की सफल कहानी

विनोद चौधरी द्वारा

सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जहांगीरपुरा गांव में वर्षा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि सही मन्शा के साथ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। समूह में कुल 10 महिलाएं हैं जो सभी भूमिहीन परिवार से हैं। इन महिलाओं ने मनरेगा की तीन उप योजनओं के माध्यम से गांव के पास तालाब के किनारे सामुदायिक भूमि पर वानिकी और फलदार प्रजाति के पौधों का रोपण किया है, जिनसे फल मिलना भी शुरू हो गया है। इसके अलावा इसी जमीन पर महिलाएं अनके प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं। सब्जियों को बेचकर महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं साथ ही घर के लोगों को भी ताजी सब्जियां खाने को मिल रही हैं।

जमीन को कब्जा मुक्त कराने हेतु किया संघर्ष

जिस जमीन पर महिलाओं द्वारा फलोद्यान और सब्जी उत्पादन का काम किया जा रहा है, उस पर सालों से अवैध कब्जा था। इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने में महिलाओं को काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए महिलाओं को राजस्व विभाग और यहां तक कि पुलिस विभाग के कई चक्कर लगाने पड़े। बीच-बीच में गांव में तनाव की स्थिति भी बनी, लेकिन महिलाओं की एक जुटता और ग्राम पंचायत से मिले भरपूर सहयोग से जमीन को कब्जा मुक्त कराने में जीत हुई। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का कुल रकबा लगभग 2 हेक्टेयर है।

मनरेगा की 3 उप योजनाओं का अभिसरण

जमीन अवैध कब्जे से मुक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत ने इस जमीन को वर्षा स्व सहायता समूह को आवंटित की। इसके उपरांत मनरेगा की 3 उप योजना सार्वजनिक वृक्षारोपण, सार्वजनिक पोषण उद्यान और निर्मल नीर योजना की मदद से सार्वजनिक उद्यान को विकसित करने का कार्य किया गया। वर्ष 2018-19 में पहली बार वर्षा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वृक्षारोपण का काम शुरू किया। इस जमीन के एक तरफ तालाब की पार है तथा उसके सामने की ओर रोड है जो ग्राम धबोटी जाती है। जमीन की चौड़ाई कम और लम्बाई अधिक है। समूह की ने जमीन की बाउन्ड्री पर वानिकी प्रजाति के पौधे जैसे - गुलमोहर, करंज, सागौन और शीशम आदि के पौधे लगाए और बाउन्ड्री के अन्दर वाले हिस्से में कटहल, अमरूद, जामुन, नींबू, आम, पपीता, सहजन प्रजाति के फलदार पौधे लगाए। जमीन की बाउन्ड्री पर लगाए गए पौधे पेड़ का रूप ले चुके हैं जो अंदर लगाए गए फलदार पौधों को फेन्सिंग के रूप में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। फलदार पेड़ों के बीच की खाली जगह में महिलाएं टमाटर, बैगन, मिर्च, गोभी, भिन्डी, करेला, गिलकी आदि सब्जी उपजा रही हैं। अच्छी बात यह है कि सब्जी उत्पादन में महिलाएं कम से कम रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग कर रही हैं।

सब्जी और फल के लिए पर्याप्त बाजार

पिछले साल से अमरूद के पेड़ों से फल मिलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सहजन के पेड़ों में भी फलियां आने लगी हैं। इसके अलावा सीजन अनुसार सब्जियों की उपज भी ली जा रही है। उद्यान में पैदा होने वाली सब्जी और फलों को महिलाएं अपने घर में उपयोग के अलावा बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त कर रही हैं। समूह की अध्यक्ष विमला दीदी और सदस्य गायत्री दीदी ने बताया कि जो भी सब्जी पैदा होती है गांव में और सीहोर में आसानी से बिक जाती है। विगत वर्ष समूह ने 20 हजार रूपए का आर्थिक लाभ प्राप्त किया।

शुरूआती दो साल पानी की थी समस्या

शुरू के दो साल समूह की महिलाओं को पौधों को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गर्मी के दिनों में पौधों को पानी मिलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सार्वजनिक उद्यान में पानी का संसाधन नहीं था। महिलाओं ने गर्मी के दिनों में आसपास खेतों में स्थित जल स्रोतों से सिर पर पानी लाकर पौधों की सिंचाई की। यदि वे ऐसा नहीं करतीं तो स्वाभाविक है कि एक भी पौधे जीवित नहीं रह पाते। दो साल बाद ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उद्यान की जमीन पर मनरेगा की निर्मल नीर उप योजना से एक कूंप का निर्माण कराया गया। अब मोटर की कमी थी तो समूह की महिलाओं ने अपने पास जमा पैसे से एक मोटर भी खरीद ली। पानी का साधन हो जाने से महिलाएं पेड़ों को समय पर पानी उपलब्ध करा रही हैं और सब्जी का उत्पादन भी कर पा रही हैं।

सफलता के पीछे की प्रमुख बातें

जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से लेकर मनरेगा की तीन उपयोजनाओं का लाभ दिलाने में ग्राम पंचायत का हर संभव सहयोग इस सफलता की प्रमुख वजह है। फलोद्यान में शुरूआती वर्षों में कोई आमदनी नहीं होती, लेकिन पौधों को समय-समय पर पानी, निंदाई, गुड़ाई, सुरक्षा आदि की जरूरत होती है। समूह की अधिकांश महिलाएं भूमिहीन परिवार से आती हैं और उनकी आजीविका मजदूरी के भरोसे ही चलती है। ऐसे में शुरूआती वर्षों में बिना किसी आर्थिक आमदनी के लगातार पौधों की देखभाल में लगे रहना महिलाओं के बस में नहीं था। ग्राम पंचायत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए समूह की महिलाओं में से ही पौध रक्षक नियुक्त किए और पौधों की देखभाल में महिलाओं के द्वारा जितने दिन काम किया जाता है, उन्हें मनरेगा योजना से मजूदरी प्रदान की जा रही है। उद्यान जैसी गतिविधियों के पूर्ण होने की अवधि 5 साल होती है। जिसमें जो पौधे मर जाते हैं उनकी जगह नए पौधे लगाना, पौधों के लिए खाद आदि की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा होता है। 5 साल बाद उद्यान में लगाए गए पौधों से पूरी क्षमता में फल मिलना शुरू हो जाएगा तो समूह की महिलाएं बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता के उद्यान का प्रबंधन करने में सक्षम हो जायेंगी।

आगे की योजना

ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक राजेन्द्र लोधी ने बताया कि, ''अब पेड़ फलने लगे हैं तो सुरक्षा के लिए रात को भी यहां रहना पड़ेगा, इसके अलावा समूह की महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से उद्यान में एक-दो कमरे का मकान ओर एक शौचालय बनवाने की योजना है।''

समूह की अध्यक्ष विमला दीदी और सदस्य गायत्री दीदी ने कहा कि, ''उद्यान से हमें ताजे फल और सब्जी खाने को मिल रहें हैं, बाजार से खरीदकर खाना हमारे बस में नहीं था''। समूह की सभी महिलाएं अपनी सफलता से बेहद प्रसन्न हैं।

मनरेगा का उद्देश्य जरूरतमन्द परिवारों को सालों साल या पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि रोजगार के माध्यम से आजीविका के ऐसे संसाधन विकसित करना है जिससे इन परिवारों को बाहर काम करने की आवश्यकता ही न रहे। जहांगीपुरा गांव की यह कहानी सही मायने में मनरेगा योजना के मकसद पर खरा उतर रही है।

बेटी बचाओ के लिए अनूठी पहल

स्वयं सहयोग राशि जुटाकर महिला सरपंच, ग्राम संगठन की दीदियां और सक्रिय युवा मिलकर चला रहे 'बेटी बचाओ वृक्ष लगाओ' अभियान

रीतेश राठौर द्वारा

बड़वानी जिले के राजपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवला मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर, विकासखंड मुख्यालय से महज 22 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां की कुल आबादी 2400 के करीब है।

देवला ग्राम पंचायत में नव निर्वाचित महिला सरपंच सालू बाई लालचन्द, ग्राम संगठन की दीदियां और सक्रिय युवाओं द्वारा की गई एक पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सालू बाई जब से ग्राम पंचायत की सरपंच बनी है, हर माह पंचायत भवन में एक मासिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में स्वयं सरपंच, स्व सहायता समूह व ग्राम संगठन की दीदियां और युवाओं सहित ग्राम के अन्य लोग उपस्थित होकर ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करते हैं।

अक्टूबर माह की 21 तारीख को आयोजित मासिक बैठक में गांव के सक्रिय युवा तथा नव निर्वाचित पंच मगन अखाड़े ने अपनी बात रखते हुए सुझाव दिया कि हमारे गांव में पेड़ों की संख्या में सुधार और लड़का-लड़की में भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बालिकाओं के सम्मान के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगर गांव में पर्याप्त संख्या में पेड़-पौधे रहेंगे तो पर्यावरण अच्छा रहेगा और कम होते भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही परिवार में लड़कियों के जन्म पर लोग उसी तरह की खुशी मनायेंगे जिस तरह लड़का पैदा होने पर मनायी जाती है। बैठक में इस विषय पर काफी मंथन के बाद सभी में सहमति बनी कि माह के दौरान जिस परिवार में बेटी का जन्म होगा, उस परिवार को हम पौधा देकर सम्मानित करेंगे। इस तरह के सम्मान से संबंधित परिवार अपने को गौरान्वित महसूस करेगा और उसके द्वारा लगाए गए पौधों से गांव को हरा-भरा बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल था कि पौधे खरीदने के लिए पैसे कहां से आयेंगे। जिस पर सरपंच दीदी एवं पंच मगन अखाड़े ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग हर माह की बैठक में प्रति सदस्य स्वेछा से कम से कम एक रुपया सहयोग राशि इकट्ठा करें। इस पैसे से हम आसानी से पौधे खरीदकर संबंधित परिवार को दान भी कर सकेंगे और राशि में सभी का सहयोग होने से संबंधित परिवार द्वारा पौधे की देखभाल सही से की जा रही है अथवा नहीं इसकी निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

सरपंच दीदी एवं युवा साथी मगन अखाड़े द्वारा दिए गये सुझाव को सभी ने सराहा एवं उसी दिन सहयोग राशि के लिए एक पेटी बनाकर 110 रूपये की राशि एकत्र की गई। इस पहल के बारे में सरपंच सालू दीदी ने ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में साझा किया। सभी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि हर माह 2 तारीख को आयोजित होने वाली बैठक के उपरान्त युवाओं और समूह की दीदियों के साथ जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है उसे पौधा भेंट कर सम्मानित करेंगे।

सरपंच, समूह की दीदियां और युवाओं की इस पहल से ग्राम पंचायत में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इस तरह के छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

समर्थन संस्था के डायरेक्टर से मिली प्रेरणा

गांव वालों के अनुसार चूंकि हम उसी गांव के माहौल में रहते हैं तो बहुत सारे बदलाव हमें सामान्य लगने लगते हैं। लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर किसी विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, तो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारी इस पहल के प्रेरणा स्रोत समर्थन संस्था के डायरेक्टर डॉ. योगेश कुमार रहे। 20 अक्टूबर को जब वे हमारी ग्राम पंचायत में आए तो उन्होंने एक एप्प के माध्यम से देखकर बताया कि हमारे गांव का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जल स्तर को ऊपर लाने के लिए आपको बारिश के पानी को अधिक से अधिक रोकना पड़ेगा और पेड़-पौधे भी लगाने होंगे। उन्हीं से हमें इस बात की जानकारी भी मिली कि लड़का-लड़की में जन्म से लेकर मृत्यु तक भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर लड़कियों की संख्या घट रही है जो गम्भीर चिन्ता का विषय है।

समर्थन संस्था के डायरेक्टर की बातों ने हमें सोचने के लिए मजबूर किया और हमने अगले ही दिन बैठक आयोजित कर इस मुद्दे पर चर्चा कर इस पहल को शुरू करने का निर्णय लिया। आगे जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने की हमारी योजना है।

चार बेटियों के पिता का संकल्प

अमरेली गांव के जिस घर में बेटी का जन्म, उसे 10 हजार रूपए भेंट

विनोद चौधरी द्वारा

गुजरात के एक गांव में चार बेटियों के पिता ने बेटियों के हित में प्रेरक फैसला लिया है। इसके तहत गांव के जिस घर में बेटी का जन्म होगा, वे उस परिवार को 10 हजार रूपए भेंट देंगे। अमरेली जिले के ईश्वरिया गांव के मनसुख भाई करसन भाई रूपाला ने इस घोषणा के बाद पांच बेटियों के जन्म पर 50 हजार रूपए भेंट कर चुके हैं। रूपाला बताते हैं कि भेंट देने में किसी जाति, समाज की बाध्यता नहीं रखी है। घर-गांव की बहुएं ही नहीं बल्कि गांव में अपने मायके में प्रथम प्रसव करवाने आयी बेटियों को भी इसके दायरे में रखा है। हाल ही में मायके आयी एक बेटी ने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया, रूपाला ने उसे 20 हजार रूपए भेंट किए।

करीब 2 हजार की जनसंख्या वाला यह गांव अमरेली, सौराष्ट्र का हिस्सा है। अमरेली में लड़का-लड़की अनुपात 1000 : 933 है। कडवा पाटीदार समाज में यह अनुपात और भी चिंताजनक है। इसके चलते विवाह सहित सामाजिक स्तर पर कई समस्याएं पेश आ रही हैं। रूपाला इस राशि को नवजात के नाम जमा कर देते हैं। 18 साल की होने पर बच्ची को यह राशि ब्याज समेत मिल जाएगी।

स्रोत : दैनिक भास्कर समाचार पत्र, दिनांक 7 नवंबर 2022, (दिलीप रावला : अमरेली, गुजरात)

जैविक कीटनाशक और खाद तैयार कर रहे किसान

ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा

कोरोना संक्रमण के बाद हर क्षेत्र में बढ़ी मेंहगाई के असर का नतीजा यह हुआ कि खेती की लागत भी बढ़ गई। बीजों के साथ ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों की कीमत भी बढ़ गई है। खेती के लिए जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से इसे मजबूरी कहें या जागरूकता लेकिन सच यह है कि अब किसान प्राकृतिक तरीकों से खेती करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसानों की कार्यशैली में आए बदलाव के पीछे जमीनी स्तर पर किसानों के साथ जुड़कर काम कर रही समाजसेवी संस्थाओं की अहम भूमिका है।

स्वयंसेवी संस्था समर्थन इस काम में किसानों को जागरूक कर रही है। किसानों को गोबर, गौमूत्र एवं प्रकृति से प्राप्त पौधों से रोगों की रोकथाम करने के लिए कीटनाशकों और खाद बनाने के तरीके बता रही है। इससे अब किसान घरों में ही खाद और कीटनाशक तैयार कर रहे हैं। ग्राम पल्थरा, बिल्हा, बिलखुरा, विक्रमपुर, जमुनहाई में किसान जीवामृत खाद बनाकर उसका उपयोग भी कर रहे हैं। विक्रमपुर निवासी रामसिंह, गुलाब, कीर्तन देवी, बिलखुरा की राधारानी, दीपारानी ने अपने यहां लगायी सब्जियों में पूरा इसी खाद का इस्तेमाल किया है।

समर्थन संस्था द्वारा पन्ना जिले के 30 गांवों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इन गांवों के 100 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती के इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इससे किसानों को बाजार से खाद और कीटनाशक नहीं खरीदना पड़ेगा। इससे उनकी खेती की लागत कम हो जायेगी।

जीवामृत बनाने की विधि

200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 10 किलो देशी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 500 ग्राम और 200 लीटर पानी की क्षमता वाली ड्रम की आवश्यकता होती है। सभी सामग्री ड्रम में डालकर एक डन्डे या छड़ी की मदद से घुमाते हुए घोल बना लिया जाता है। अब इस ड्रम को बोरे से ढंककर 6 से 7 दिन के लिए किसी छाया वाले स्थान पर रख दिया जाता है। इस बीच प्रतिदिन सुबह-शाम डन्डे की मदद से घोल को घुमाते हैं। एक सप्ताह बाद 200 लीटर जैविक खाद बनकर तैयार हो जाता है। 15 दिन तक इस घोल को जैविक खाद के रूप में सब्जी या किसी अन्य फसल पर किया जा सकता है। इसी तरह बीजामृत, नीम पेस्ट भी तैयार किया जा सकता है।

महिलाओं की पहल

53 महिलाओं को दिलायी धुएं से आजादी

दिलीप काग द्वारा

मेरा नाम रेलकी बाई रावत है, मैं अलीराजपुर जिले के सोंडवा विकासखंड की ग्राम पंचायत ओझड़ की रहने वाली हूं। मैं भारत माता ग्राम संगठन की अध्यक्ष के साथ–साथ पंचायत की बदलाव दीदी के रूप में भी काम कर रही हूं। सोंडवा विकासखंड में शिक्षा का अभाव होने के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही से नहीं पहुंच पाता। जिसके कारण लोग अंधकारमय और पिछड़ा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

वर्ष 2018 में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया की सहयोगी संस्था समर्थन के प्रतिनिधियों ने ग्राम संगठन की अन्य दीदियों की सहमति से मुझे पंचायत की बदलाव दीदी के रूप में चुना। संस्था द्वारा मुझे पंचायती राज व्यवस्था, संविधान, मतदाता और नागरिकता एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया। संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से मैंने बहुत सी ऐसी नई-नई जानकारियां हासिल की, जिनके बारे में मुझे पहले कुछ पता नहीं था। योजनाओं पर आयोजित प्रशिक्षण के माध्यम से ही मुझे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की जानकारी मिली। मैं और मेरे गांव की अन्य महिलाएं भी सोचा करती थीं कि हमारे यहां भी गैस चूल्हा हो और लकड़ी वाले चूल्हें के धुंए से हमें मुक्ति मिले। लेकिन आर्थिक अभाव के कारण हमारे लिए यह एक सपना जैसा था।

जब मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने प्रशिक्षण से गांव लौटकर गांव की अन्य महिलाओं को भी इसकी जानकारी दी। अगले दिन ग्राम संगठन की अन्य दीदियों के साथ ग्राम पंचायत पहुंची और सरपंच से योजना के आवेदन हेतु एक शिविर लगाने की बात कही। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए सरपंच और सचिव ने उनकी बात मानते हुए शीघ्र ही शिविर का आयोजन कराने का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्रीय गैस एजेन्सी से बात कर शिविर की दिनांक तय कर पूरे गांव में इसकी सूचना दी। शिविर में गैस कनेक्शन के लिए कुल 53 आवेदन आए। गांव में ही शिविर आयोजित होने और ग्राम पंचायत का सहयोग होने के कारण आवेदनकर्ता महिलाओं को आवश्यक दस्तावेज जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। लगभग 20 दिन बाद सभी महिलाओं को गैस सिलेण्डर और चूल्हा भी मिल गया।

इस सफलता से मुझे बेहद खुशी हुई, अन्य महिलाओं ने भी मेरे प्रति आभार व्यक्त किया। ग्राम पंचायत ने भी इस काम के लिए मेरी प्रशंसा की। महिलाओं ने कहा कि अब हमें चूल्हा जलाने के लिए रोज जंगल से लकड़ी लाने नहीं जाना पड़ेगा। धुंए से आंख और शरीर को होने वाले नुकसान से हम बचे रहेंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा लकड़ी के लिए पेड़ नहीं काटना पड़ेगा जिससे हमारे गांव का पर्यावरण भी बेहतर होगा।

कौन है सचेत दीदी?

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया और उसकी सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा राजपुर विकासखंड में संचालित एक परियोजना के तहत स्थागनीय सुशासन को सशक्तं बनाने और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्थांनीय सुशासन को सशक्तं बनाने के लिए चलायी गई यह मुहिम परियोजना की समयावधि के बाद भी चलती रहे इसके लिए हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन की दीदियों में से एक-एक सक्रिय दीदी की पहचान कर, उन्हें पंचायत सचेत दीदी बनाया गया है। जो परियोजना के कामों को आगे ले जाने का काम करेंगी। इन सचेत दीदियों की संस्था ने पंचायती राज व्योवस्थाो पर प्रशिक्षण और बैठकों के माध्यिम से क्षमतावृद्धि भी की है। ये सचेत दीदियां ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय को पंचायती राज व्य वस्थात के बारे में जागरूक करने और वंचितों को उनके हक एवं अधिकारी दिलाने में सराहनीय काम कर रही हैं।

खामियां नहीं सहयोग से बनेगी बात

मुकेश मेंढ़ा द्वारा

मैं रेखा बामनिया ग्राम पंचायत भीमकुंड जो कि झाबुआ जिले के थांदला विकासखंड में आता है, निवास करती हूं। तहसील मुख्यालय से मेरी पंचायत की दूरी महज 7 किमी है। मैं ग्राम संगठन भीमकुंड की अध्यक्ष के साथ-साथ ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया की सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा संचालित सचेत परियोजना में पंचायत की सचेत दीदी का काम भी देख रही हूं। सचेत दीदी के रूप में मेरा चुनाव वर्ष 2018 में ग्राम संगठन की सभी दीदियों की सहमति से किया गया था। सचेत परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सुशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और पंचायतों के कामकाज और ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। वर्ष 2019 से 2022 की अवधि में मैंने समर्थन संस्था द्वारा सचेत दीदियों के लिए आयोजित 4 प्रशिक्षणों में भाग लिया। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से मैंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, संविधान, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ग्राम सभा का महत्व, ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में जानकारी हासिल की। इससे पहले इन सब विषयों पर मेरी जानकारी शून्य थी।

पहले ग्राम पंचायत की विकास योजना या जीपीडीपी का निर्माण कब हो जाता था, हमें मालूम ही नहीं पड़ता था। जीपीडीपी निर्माण में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से मुझे जब इसकी पूरी जानकारी मिली तो, मैंने स्व सहायता समूह और ग्राम संगठन की अन्य दीदियों को भी इसके बारे में बताया तथा उनसे हर साल जीपीडीपी निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने की बात कही। मैंने बताया कि जीपीडीपी निर्माण में महिलाओं की भागीदारी नहीं होने से उनकी जरूरत और समस्याओं के समाधान से जुड़े काम छूट जाते हैं। सभी महिलाओं ने कहा कि अब हम सब जीपीडीपी निर्माण में शामिल होंगे तथा महिलाओं के मुद्दों के साथ-साथ सार्वजनिक हित के मुद्दों की बात भी रखेंगे।

हमने देखा कि गांव के पास से गुजरने वाले नाले पर कोई डेम नहीं होने के कारण पूरा पानी बहकर निकल जाता है और गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि नाले पर एक स्टाप डेम बन जाए तो उसमें पानी रूकेगा और लम्बे समय तक भरा रहेगा। जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। जब वर्ष 2020-21 के लिए जीपीडीपी का निर्माण हो रहा था तो मैंने सभी महिलाओं के साथ स्टाप डेम को जीपीडीपी में शामिल करने की बात रखी। गांव के पुरूषों ने भी मेरी बात का समर्थन किया और इस कार्य को जीपीडीपी में जोड़ा गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में डेम की स्वीकृति के बाद काम शुरू हुआ और 3 माहीने में बनकर तैयार भी हो गया। स्टाप डेम बन जाने से गाँव के लगभग अधिकांश किसान सिंचाई कर गेहूं की अच्छी उपज ले रहे हैं।

मैं और ग्राम संगठन की दीदियां समय-समय पर स्कूल और आंगनवाड़ी की विजिट कर वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी भी करते हैं। मुझे सूचना मिली की गांव की आंगनवाड़ी में बच्चों को जो भोजन दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने की बात कही, अन्यथा उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत का डर दिखाया, फलस्वरूप बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण भोजन का वितरण किया जाने लगा। मैंने स्व सहायता समूह की 9 महिलाओं को नाडेप टैंक निर्माण का लाभ दिलाने में सहयोग किया। मैं चाहती हूं कि मेरी पंचायत में कोई भी व्यक्ति या परिवार ऐसा न रहे जो पात्रता के बावजूद किसी योजना के लाभ से वंचित रहे। मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत के कामकाज में खामियां निकालने के बजाय, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं हमारा प्रयास होना चाहिए। जो मैं और मेरे ग्राम संगठन की दीदियां कर रही हैं।

घर की चारदीवारी से निकलें महिलाएं

मुकेश मेढ़ा द्वारा

मेरा नाम पुष्पा डामोर है मै गाँव रोजिया, विकासखंड थांदला जिला झाबुआ में रहती हूं। मैं लम्बे समय से ग्राम संगठन से जुड़ी हूं। वर्ष 2018 से पहले मैं स्व सहायता समूह और ग्राम संगठन की गतिविधियों तक सीमित थी। हर माह की 18 तारीख को ग्राम संगठन की बैठक आयोजित कराना, समूह की दीदियों को ऋण दिलाने, समय पर ऋण की वापसी करने और बचत के बारे में समझाना, यही मेरा काम था। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित थी। इससे पहले कभी ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्राम सभा में भी नहीं गई। लेकिन वर्ष 2018 में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया की सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा गांव में स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने के लिए 'सचेत परियोजना' की शुरूआत हुई तो, संस्था के प्रतिनिधियों ने ग्राम संगठन की दीदियों के साथ बैठक का आयोजन कर परियोजना के बारे में बताया तथा सभी दीदियों की सहमति से मुझे सचेत दीदी के रूप में चुना। समर्थन संस्था द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, संविधान, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ग्राम सभा और

ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से मुझे जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षणों में मिली जानकारी अनुसार मैंने अपने गांव में लोगों को सहयोग करना शुरू किया। मैंने गांव में घूमकर उन लोगों की सूची तैयार की जो किसी योजना के लिए पात्र थे, लेकिन उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इस प्रयास से मैंने 16 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 21 परिवारों को उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए राशन पर्ची दिलवायी। इसके साथ-साथ अपने गांव में सार्वजनिक सुविधाओं की मांग जैसे सीसी रोड, सामुदायिक भवन,

सामुदायिक कुआं आदि की मांग भी ग्राम विकास योजना में जुड़वायी। कोरोना काल में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसी स्थिति में मैंने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए लोगों को राशन वितरण, बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचाने और घर-घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने का कार्य किया।

पहले महिलाएं ग्राम सभा में नहीं जाती थी, लेकिन मेरे द्वारा उन्हें ग्राम सभा के महत्व के बारे में जागरूक करने और प्रोत्साहित करने से अब ग्राम सभाओं में महिलाओं की अच्छी खासी उपस्थिति रहने लगी है। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करती हूं, इसलिए गांव वाले भी मेरे सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज गांव और लोगों के विकास के लिए मैं जो कुछ कर पा रही हूं उसका श्रेय टी.आर. आई.एफ. और समर्थन संस्था को जाता है, इन संस्थाओं ने ही मुझे इस काबिल बनाया है।

"मैं उन सभी महिलाओं से अपील करती हूं जिनकी दिनचर्या घर की चारदीवारी तक सीमित है, मेरी तरह घर से बाहर निकलें और बाहरी दुनियां के बारे में जानें तथा आगे बढ़ें"।

प्रिय पाठक गण,

पंचम् विकास पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संबंध में आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप नीचे दिए गए पते पर पत्राचार कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हॉट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं।

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट

36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016, मोबाइल नंबर – 9406546728

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :

सम्पादक मंडलः पंकज पांडे, विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नारायण परमार, पंकज गुप्ता, मनोहर गौर

पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713